

3136/00



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
14 JUL 2008
इलाहाबाद
DSFT



Idi: typed
Xhtil Achocali

489821

पट्टागत नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड का विलेख

नजूल भूमि पर निजी स्वामित्व प्रदान किये जाने हेतु फ्रीहोल्ड के प्रमाण पत्र का यह विलेख सन् 2008 के जुलाई माह के 14 वें दिन, तदनुसार शक सम्वत् 1930 के आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष के 12 वें दिन को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, (जिनको यहाँ आगे चल कर 'विक्रेता' कहा गया है) प्रथम पक्ष तथा श्री राम सरन वर्मा पुत्र स्व० बी. बी. एस. वर्मा निवासी 22, क्लाइव रोड, पत्रालय-प्रधान डाकघर, तहसील सदर, जिला-इलाहाबाद (जिनको यहाँ आगे चलकर "क्रेता" कहा गया है) द्वितीय पक्ष, के मध्य लिखा गया है।

चूँकि दि गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश एवं श्रीमती हीरा वर्मा पत्नी स्व० बी. बी. एस. वर्मा व श्री राम सरन वर्मा पुत्र स्व० बी. बी. एस. वर्मा निवासी गण 22, क्लाइव रोड, शहर इलाहाबाद के मध्य निष्पादित पट्टा विलेख दिनांक 06.03.1991 जो प्रति पुस्तक संख्या 1

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

राम सरन वर्मा

14/07/08



(सुभाष चन्द्र उत्तम)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

(सुभाष चन्द्र उत्तम)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

कलकट कोषागार-इलाहाबाद

दिनांक 14/9/08 जनरल/कोर्ट फीस रुपया 2000

नाम व पता राम करन वर्मा / रू. बी. बी. (उडा. अर्थ)

22 मल्लिकार्जुन

14/9/08

✓





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

489822

14 JUL 2008

इलाहाबाद

(2)

खण्ड संख्या 52 के पृष्ठ संख्या 1/22 पर विलेख संख्या 2052 के रूप में सब रजिस्ट्रार चायल, जिला इलाहाबाद के कार्यालय में दिनांक 19.03.1991 को रजिस्टर्ड है, (जिसे आगे 'पट्टा विलेख' कहा गया है और जिसमें दि गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश को 'पट्टादाता' एवं श्रीमती हीरा वर्मा पत्नी स्व० बी. बी. एस. वर्मा व श्री राम सरन वर्मा पुत्र स्व० बी. बी. एस. वर्मा को "पट्टेदार" कहा गया है) और यह कि उक्त पट्टागत नजूल भूखण्ड संख्या 115A, सिविल स्टेशन इलाहाबाद क्षेत्रफल 1 एकड़ 2684 वर्गगज अथवा 7524 वर्गगज 6290.81 वर्गमीटर का पट्टा श्रीमती हीरा वर्मा पत्नी स्व० बी. बी. एस. वर्मा व श्री राम सरन वर्मा पुत्र स्व० बी. बी. एस. वर्मा के पक्ष में दो 30-30 वर्षीय मध्यवर्ती नवीनीकरण के प्रावधानों के साथ कुल 90 वर्षों की अवधि हेतु दिनांक 06.03.1991 को निष्पादित हुआ, जो दिनांक 11.07.1969 से 30 वर्षों के लिये प्रभावी है और उपरोक्त पट्टेदारान का नाम नजूल भूखण्ड उपरोक्त पर नजूल सम्पत्ति पंजिका में अंकित है। अंकित सह पट्टेदार श्रीमती हीरा वर्मा पत्नी स्व० बी. बी. एस. वर्मा का स्वर्गवास दिनांक 24.12.1994 को हो गया है। तहसीलदार सदर, इलाहाबाद की जांच आख्या संख्या 1563 /टंकक दिनांक

क्रेता के हस्ताक्षर

राम सरन वर्मा

विक्रेता

W

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(सुभाष चन्द्र उत्तम)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

कलकट्टे कौषागार-इलाहाबाद
 दिनांक 14/7/08 जनरल/कोर्ट फीस रुपया 300/-
 नाम व पता 214 सदन बार्ड 14/7/08
 22 कलाइव रोड 14/7/08

विक्रय पत्र

1,270,871.00/

5,000.00

20

5,020.00

800

फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

प्रतिफल मालियत
 श्री /श्रीमती राम सरन वर्मा
 पुत्र / पत्नी श्री स्व बी बी एस वर्मा
 पेशा नौकरी
 निवासी स्थायी 22 कलाइव रोड इलाहाबाद
 अस्थायी पता
 ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 14/7/2008 समय 1:19PM
 बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

राम सरन वर्मा



एम.के. त्रिपाठी (प्र०)
 उप निबन्धक (प्रथम)
 इलाहाबाद
 14/7/2008

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

क्रेता

इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निष्पादन
 श्री सुभाष चन्द्र उत्तम, अपर जिलाधिकारी नजूल इलाहाबाद
 ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिये उनकी उपस्थिति
 और हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं है, और लेखपत्र
 रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार किया गया।

श्री/श्रीमती राम सरन वर्मा
 पुत्र/पत्नी श्री स्व बी बी एस वर्मा
 पेशा नौकरी
 निवासी 22 कलाइव रोड इलाहाबाद



ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री शम्भू नाथ भारती

पुत्र श्री स्व लल्लू भारती

पेशा

निवासी 130ए/3डी/1 तेलियरगंज इलाहाबाद

व श्री ब्रम्ह प्रसाद पाण्डेय

पुत्र श्री स्व राम निधि पाण्डेय

पेशा

निवासी 2 बी म्योर रोड इलाहाबाद

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।



एम.के. त्रिपाठी (प्र०)
 उप निबन्धक (प्रथम)
 इलाहाबाद
 14/7/2008



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

489823

(3)

08.02.2006 के अनुसार उनके पुत्र श्री राम सरन वर्मा एवं पात्र श्री लव वर्मा पारिवारिक सदस्य हैं। मृतक पट्टेदार श्रीमती हीरा वर्मा के एकमात्र पुत्र श्री राम सरन वर्मा द्वारा उक्त भूखण्ड को फ्रीहोल्ड किये जाने हेतु आवेदन पत्र संख्या 2690 दिनांक 12.03.1999 ई० प्रस्तुत किया गया है। मृतक पट्टेदार श्रीमती हीरा वर्मा के एकमात्र पुत्र श्री राम सरन वर्मा द्वारा फ्रीहोल्ड आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है और श्री आर० एस० वर्मा उत्तराधिकारी हैं, इन्हीं के पक्ष में फ्रीहोल्ड की कार्यवाही किया जाना उचित है और नजूल भूखण्ड संख्या **115A**, सिविल स्टेशन इलाहाबाद क्षेत्रफल **6290.81** वर्गमीटर भूमि का फ्रीहोल्ड उपरोक्त पट्टेदार श्री राम सरन वर्मा के पक्ष में किया जा रहा है। इस प्रकार "क्रेता" पट्टा विलेख की अनुसूची में उल्लिखित नजूल भूखण्ड जिसे इस विलेख की अनुसूची में भी वर्णित किया गया है, का पट्टेदार है।

और चूँकि क्रेता ने इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड जिसका कि वह पट्टेदार है, प्रदेश की नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण विषयक शासनादेश संख्या 1562/9-आ-4-92-293एन/90, दिनांक 23.05.1992, शासनादेश संख्या 3632/9-आ-4-92-

क्रेता के हस्ताक्षर

राम सरन वर्मा

विक्रेता

ky

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(सुभाष चन्द्र उत्तम)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

कलकट कोषागार-इलाहाबाद
दिनांक 14/07/08 जनरल/कोर्ट फीस रुपया 3000/-
नाम व पता राम सन पत 14/07/08 की पहली
22 मकर संक्रान्ति 14/07/08
विक्रेता

Registration No 3136

Year: 2008

Book No. 1

0101 सुभाष चन्द्र उत्तम, अपर जिलाधिकारी नजूल इलाहाबाद

✓





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

489824

(4)

293एन/90, दिनांक 2-12-1992, शासनादेश संख्या 2093/9-आ-4-94-293एन/90, दिनांक 3-10-1994, शासनादेश संख्या-3082/9-आ-4-95-628एन/95, दिनांक 1-1-1996, शासनादेश संख्या- 82/9-आ-4-96-629एन/95, दिनांक 17-2-1996, शासनादेश संख्या- 1300/9-आ-4-96-629एन/95, (टी.सी), दिनांक 29-8-1996, शासनादेश संख्या 2029/9-आ-4-97-260एन/97, दिनांक 26-09-1997, शासनादेश संख्या - 667/9-आ-4-98-691/1997 (टी.सी), दिनांक 23 अप्रैल, 1998, शासनादेश संख्या - 2268/9-आ-4-98-704एन/97, दिनांक 1-12-1998, शासनादेश संख्या-1592/9-आ-4-99-691एन/97, टी.सी., दिनांक 20-5-1999 एवं शासनादेश संख्या-2873/9-आ-4-2002-152एन/2000, टी.सी., दिनांक 10-12-2002 में निर्दिष्ट निर्देशानुसार फ्री-होल्ड लैण्ड घोषित करने तथा उस पर क्रेता को निजी स्वामित्व प्रदान करने हेतु जिलाधिकारी, जिला-इलाहाबाद को निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र दिया है।

और चूँकि नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण विषयक जारी उपर्युक्त शासनादेशों में निर्दिष्ट निर्देशानुसार तथा शासनादेश संख्या -2268/9-आ-4-98-704एन/97, दिनांक 01

क्रेता के हस्ताक्षर

राज सरन वर्मा

विक्रेता

4

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

(सुभाष चन्द्र उत्तम)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

कलकटेट कोषागार-इलाहाबाद
दिनांक 14/07/08 जनरल/कोर्ट फीस रुपया 2000
नाम व पता राम सरन वर्मा नि. नं. बी. बी. एस. व. नि.
22 कलाइव रोड 70
14/07/08

क्रेता

Registration No.

3136

Year :

2008

Book No.

1

0201 ' राम सरन वर्मा

राम सरन वर्मा

स्व बी बी एस वर्मा

22 कलाइव रोड इलाहाबाद

नौकरी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

489825

14 JUL 2008

इलाहाबाद

(5)

दिनांक 1998, शासनादेश संख्या -2961/9-आ-4-99-350एन/99T.C., दिनांक 03.12.1999 एवं शासनादेश संख्या-2873/9-आ-4-2002-152एन/2000, टी.सी., दिनांक 10-12-2002 के अनुसार स्वमूल्यांकन की धनराशि रुपये 5,03,265/- (शब्दों में रुपये पाँच लाख तीन हजार दो सौ पैंसठ मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या RK16 दिनांक 12.03.1999 द्वारा तथा दिनांक 02.06.2008 को निर्गत मांग पत्र संख्या 240/नजूल-(एस.एन.सी.)XXI-8/2690 (फ्रीहोल्ड) 98-99 द्वारा अपेक्षित धनराशि रुपये 07,67,606/- (शब्दों में रुपये सात लाख सरसठ हजार छः सौ छः मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या 00058 दिनांक 09.07.2008 द्वारा इस प्रकार सम्पूर्ण आकलित निर्धारित मूल्य रुपये 12,70,871/- (शब्दों में रुपये बारह लाख सत्तर हजार आठ सौ इक्कहत्तर मात्र) क्रेता से प्राप्त करके जिलाधिकारी, जिला-इलाहाबाद आगे वर्णित शर्तों के अधीन इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड को निजी स्वामित्व वाला (फ्री-होल्ड) भूखण्ड घोषित करने तथा उस पर क्रेता को निजी स्वामित्व प्रदान करने हेतु एतद्द्वारा सहमत हैं।

अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित

क्रेता के हस्ताक्षर

राम सरन वर्मा

विक्रेता

५५

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद

राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा

उनके द्वारा प्राधिकृत

(सुभाष चन्द्र ठाकुर)

अपर जिलाधिकारी (नजूल)

इलाहाबाद

कलकट कोषागार-इलाहाबाद

दिनांक 14/07/08 जनरल/कोर्ट फीस रुपया 2000

नाम व पता राम दास वर्मा नि. नि. जी. पी. इ.स. वर्मा

22 मध्यम 25

प्रसाद
14/07/08

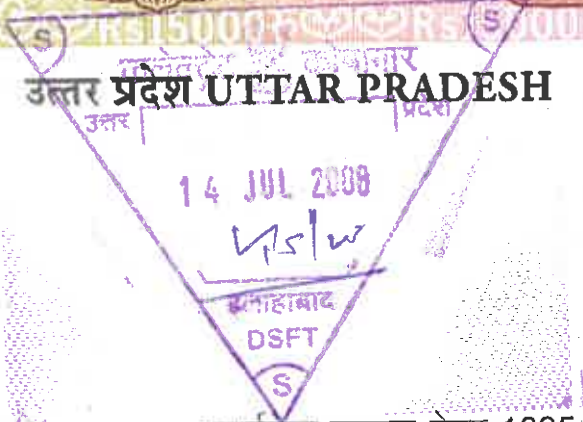
✓





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

155453



(6)

गवर्नमेन्ट ग्राण्ट्स ऐक्ट 1895 (सन् 1895 ई० का ऐक्ट संख्या 15) के अधीन निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड क्रेता के पक्ष में फ्रीहोल्ड (निजी स्वामित्व) घोषित करने हेतु क्रेता द्वारा विक्रेता को कुल धनराशि रुपये **12,70,871/-** (शब्दों में रुपये बारह लाख सत्तर हजार आठ सौ इक्कत्तर मात्र) जिला-इलाहाबाद स्थित राजकीय कोषागार में उपर्युक्त ट्रेजरी चालान द्वारा किये भुगतान (जिसकी प्राप्ति विक्रेता एतद्वारा स्वीकार करता है), के प्रतिफलस्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों जिनका क्रेता पालन करेगा, को ध्यान में रखकर विक्रेता एतद्वारा वह भूखण्ड, उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची में दिया गया है और जो स्पष्टीकरण के लिये इस विलेख से संलग्न मानचित्र में लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है को महायोजना में विनिर्दिष्ट **आवासीय** भू-उपयोग के निमित्त फ्रीहोल्ड घोषित करते हैं और उस पर क्रेता को निजी स्वामित्व प्रदान करते हैं और क्रेता, उसके दायाधिकारी तथा समुनिदेशिती सदा के लिये उसे अपने अधिकार में रखेंगे।

इस विलेख की अनुसूची में वर्णित भूखण्ड या उस पर निर्मित अथवा निर्माण किये

क्रेता के हस्ताक्षर

राम सदन बन्नी

विक्रेता

W

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(सुभाष चन्द्र उत्तम)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

कलकटेत कोषागार-इलाहाबाद

दिनांक 14/01/08 जनशक्त कोषीत रुपया 15000/-

नाम व पता 21 म सननवर्षी लेम की की (रहा वपरी)

22 जनशक्त कोषीत रुपया 10000/-
14/01/08

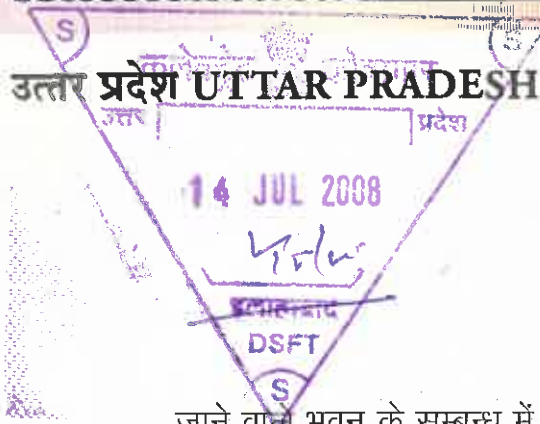
✓





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

110773



(7)

जाने वाले भवन के सम्बन्ध में इस समय देय करें और उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करें का भुगतान क्रेता करेगा।

इस विलेख से उत्पन्न या इसके सम्बन्ध में या इसके विषय पर यदि कोई भी विवाद, मतभेद अथवा प्रश्न दोनों पक्षों या उसके दावेदार के बीच कभी उठ खड़ा हो तो वह निर्णय हेतु राज्य सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव को भेजा जायेगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इस विलेख के दोनों पक्ष उससे बाध्य होंगे।

यह फ्रीहोल्ड विलेख रिट याचिका संख्या 32605/1991, सत्य नारायण कपूर प्रति उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य तथा रिट याचिका संख्या 20430/1992, श्रीमती रफीकुन्निसा प्रति उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य एवं रिट याचिका संख्या 16325/1994, मोहम्मद अली प्रति उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले माननीय उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में जो कुछ भी व्यय होगा,

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

राम चरण वर्मा

4

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(सुभाष चन्द्र उत्तम)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

कलकत्ता कोषागार-इलाहाबाद

दिनांक 14/07/08

चनरल/कोर्ट फीस रुपया 10000

नाम व पता 14 कस्तूर बाई रोड की की 154 नम

22 अक्टूबर 2008

14/07/08





(8)

क्रेता वहन करेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द "विक्रेता" और "क्रेता" के सम्बन्ध में, जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो, "विक्रेता" में उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समुनिदेशिती का तथा "क्रेता" में उसके दाय्याधिकारियों, निष्पादकों, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों एवं समुनिदेशितियों का अन्तर्भाव है।

इस विलेख के साक्ष्य में क्रेता ने और विक्रेता की ओर से एवं उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने उन तिथियों को हस्ताक्षर कर दिये हैं जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी है।

इसमें अभिदिष्ट अनुसूची निम्नांकित है :-

नजूल भूखण्ड संख्या 115A, सिविल स्टेशन इलाहाबाद क्षेत्रफल 6290.81 वर्गमीटर स्थित मोहल्ला क्लाइव रोड, जिला-इलाहाबाद जो संलग्न नक्शे में लाल रंग से

क्रेता के हस्ताक्षर

राज सदन बर्मा

विक्रेता

W

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद

राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा

उनके द्वारा प्राधिकृत
(मुभाष चन्द्र उस्मान)

अपर जिलाधिकारी (नजूल)

इलाहाबाद

कलक्ट्रेट कोषागार-इलाहाबाद

दिनांक 14/6/08

जनरल/कोर्ट फीस रुपया

100

नाम व पता

श्रीम 1122 पते

हस्ता की की 157 वरु

22 अक्टूबर 25

10

14/6/08

✓





(9)

दिखाया गया है, जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है :-

चौहद्दी :-

पूरब - साइट नम्बर 115B, सिविल स्टेशन, शहर इलाहाबाद।

पश्चिम - मेहता नेत्र चिकित्सालय मार्ग, (क्लाइव रोड) इलाहाबाद।

उत्तर - साइट नम्बर 115, सिविल स्टेशन, शहर इलाहाबाद।

दक्षिण - साइट ऑफ कम्पाउण्ड ऑफ हाईडिल कालोनी।

फ्रीहोल्ड के लिये क्रेता ने स्वमूल्यांकन की धनराशि रुपये **5,03,265/-** (शब्दों में रुपये पाँच लाख तीन हजार दो सौ पैसठ मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या **RK16** दिनांक 12.03.1999 द्वारा तथा निर्गत मांग पत्र की धनराशि **07,67,606/-** (शब्दों में रुपये सात लाख सरसठ हजार छः सौ छः मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या **00058** दिनांक **09.07.2008**

क्रेता के हस्ताक्षर

राजेश चन्दा

विक्रेता

W

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

(सुभाष चन्द्र उत्तम)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद



कलकत्ते कोषागार-इलाहाबाद

दिनांक 14/01/08 जनरल/कोर्ट फीस रुपया 100

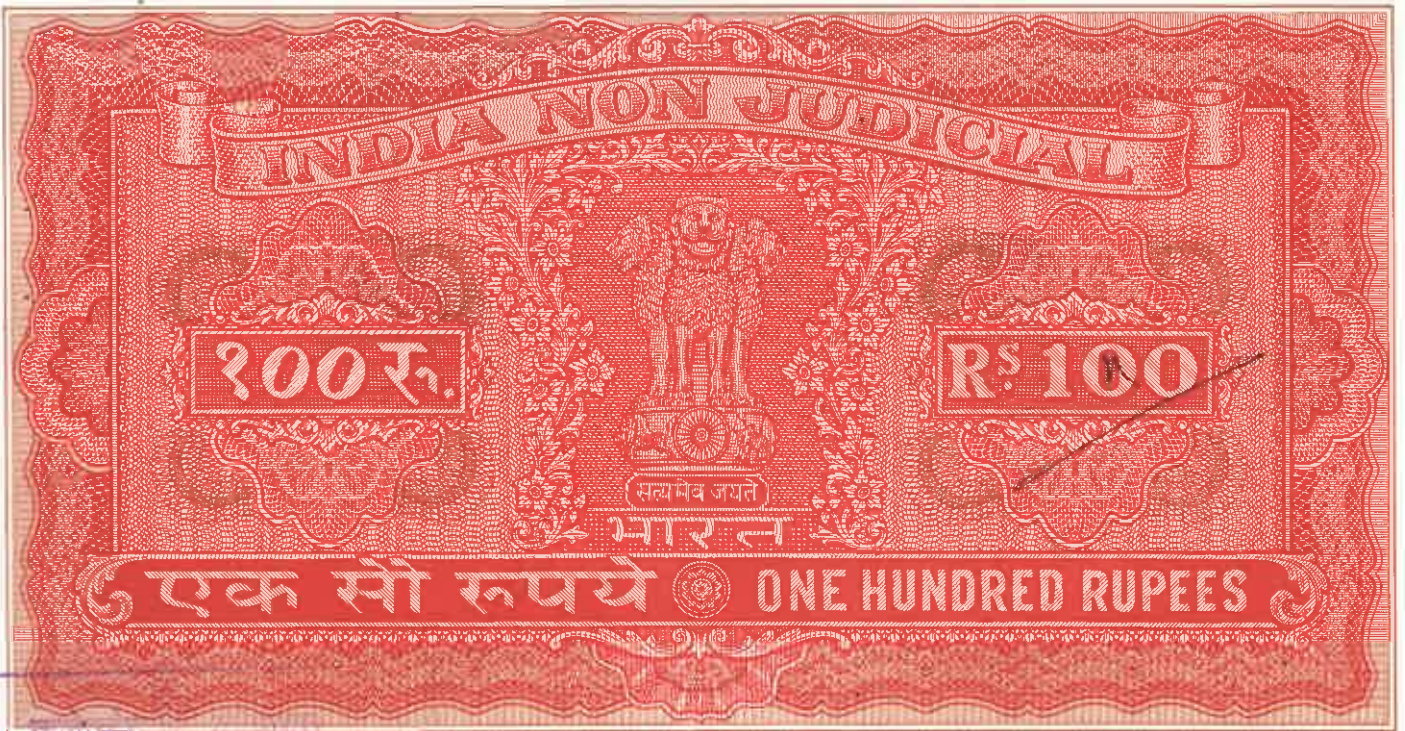
नाम व पता राम बरन कर्मा हेरु की की 154 वमी

22 जनवरी 2008

14/01/08

✓





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 820727

- 9 JUL 2008

(10)

द्वारा इस प्रकार सम्पूर्ण मूल्य रुपये 12,70,871/- (शब्दों में रुपये बारह लाख सत्तर हजार आठ सौ इक्कत्तर मात्र) जमा कर दिया है।

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

राम सरन वर्मा

14/07/08

नाम- श्री राम सरन वर्मा पुत्र स्व० बी. बी.
एस. वर्मा निवासी 22, क्लाइव
रोड, इलाहाबाद

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद

राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा

उन्के द्वारा प्राधिकृत
(सुभाष चन्द्र उत्तम)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)

1. साक्षी का हस्ताक्षर अम्बुनाथ झा

1. साक्षी का हस्ताक्षर सुभाष चन्द्र उत्तम

पूरा नाम अम्बुनाथ झा

नाम व पदनाम सुभाष चन्द्र उत्तम

पिता का नाम रामसरन वर्मा

पता 1308/3501, लेकिया रोड, इलाहाबाद

2. साक्षी का हस्ताक्षर सुदामा प्रसाद

2. साक्षी का हस्ताक्षर सुदामा प्रसाद

पूरा नाम सुदामा प्रसाद

नाम व पदनाम (सुदामा प्रसाद)

पिता का नाम सु० रामनारायण

पता 2 R माला रोड इलाहाबाद

सुदामा प्रसाद
कलेक्टर इलाहाबाद

कलकट्टे कोषागार-इलाहाबाद
दिनांक 14/07/08 जनरल/कोर्ट फीस रुपया 100
नाम व पता राम लाल पट्टी निवासी बी.एन.पथ
21 बंगला 205 100
14/07/08

आज दिनांक 14/07/2008 को

वही सं 1 जिल्द सं 6043

पृष्ठ सं 161 से 182 पर कमांक 3136

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

एम.के.त्रिपाठी (प्र०)

उप निबन्धक (प्रथम)

इलाहाबाद

14/7/2008

